न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—227/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/227)

1. श्रीमती रोशन आरा उर्फ बबली पुत्री स्व0 श्री अली मोहम्मद पौत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान मूल निवासी—भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद हाल निवास—स्कीम नम्बर 08, बगान, नीमच (म.प्र.)।
2. श्रीमती हसनजहां आरा उर्फ गुड्डी, पुत्री स्व0 श्री अली मोहम्मद पौत्री स्व0 श्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान मूल निवासी—भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद हाल निवास— उदेई मोड, प्रधान भवन के सामने, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती शोभालाल पत्नी स्व0 श्री अली मोहम्मद
2. श्री असलम पुत्र स्व0 श्री अली मोहम्मद
3. अनवर अली पुत्र स्व0 श्री अली मोहम्मद
4. शबाना बानों पुत्री स्व0 श्री अली मोहम्मद
   समस्त जाति मुसलमान निवासी — ग्राम भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. उप पंजीयक विभाग, नसीराबाद तहसील नसीराबाद
6. राजस्थान सरकर जरिए तहसीलदार नसीराबाद तहसील नसीराबाद

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 01/2016

उपस्थितः—

1. श्री, एन.के.जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5, 6
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 15.09.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया दौराने वाद विवादित भूमियां ग्राम विठूर व भवानीखेडा स्थित भूमियां के खातेदार अपीलार्थीगण के पिता श्री अली मोहम्मद के स्थान पर विरासत नामांतरण के जरिए वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज कर दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में यह निवेदन किया कि ग्राम बिठूर व ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद स्थित भूमियां जो कि खातेदार अली मोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई, वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण का बंटवाडे का राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाद इस आधार पर निरस्त किया गया कि वाद पत्र मुस्लिम विधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया के आधार पर वादीगण का वाद दिनांक 15.09.2021 को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2021 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या01 से 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम बिठूर एवं ग्राम भवानीखेड़ा वल्द नूर मोहम्मद जाति मुसलमान दर्ज है, कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है ग्राम बिठॅर तहसील नसीराबाद स्थित भूमि का विरासत नामांतरण संख्या 745 दिनांक 29.06.2016 के अनुसार श्री अली मोहम्मद के स्थान पर शोभा लाल पत्नी स्व0 श्री अली मोहम्मद, असलम, अनवर पुत्रगण स्व0 श्री अली मोहम्मद, रोशनआरा एवं हसनजहां आरा, शबाना पुत्रिशं स्व0 श्री अली मोहम्मद, कौम मुसलमान वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज किया गया इसी प्रकार ग्राम भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद स्थित भूमि के संदर्भ में भी खातेदार स्व0 श्री अली मोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान जमाबंदी में री अली मोहम्मद के उक्त वारिसान की विरासत नामांतरण स्वीकृत किया जाकर सहखातेदार दर्ज किया, वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया दौराने वाद विवादित भूमियां ग्राम बिठूर व भवानीखेडा स्थित भूमियां के खातेदार अपीलार्थीगण के पिता श्री अली मोहम्मद के स्थान पर विरासत नामांतरण के जरिए वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज कर दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में यह निवेदन किया कि ग्राम बिठूर व ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद स्थित भूमियां जो कि खातेदार अली मोहम्मद के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई, वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण का बंटवाड़े का राजस्व वाद इस आधार पर निरस्त किया गया कि वाद पत्र मुस्लिम विधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया के आधार पर वादीगण का वाद निरस्त कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमियों के संदर्भ में बंटवाडा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत ही प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, मुस्लिम अधिनियम के अंतर्गत बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का वाद पत्र बंटवाडे के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया कि जिसे निरस्त किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक एवं भारी त्रुटि की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष बाबत बंटवाड़ा जो कि मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र मुस्लिम विधि के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया इस कारण वादी का वाद निरस्त किया जावे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी को दिनांक 17.01.2018 को ही निरस्त कर दिया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई चुनौति ही नहीं दी गई। अपीलाधीन भूमियां ग्राम बिठूर के खाता संख्या 47/42 के वर्तमान खसरा नम्बर 2532, 2545, 2546, 2549, 2550, 2559, 2560, 2561 एवं खाता नम्बर 48/43 खसरा नम्बर 2548, 2551, 2552, तथा ग्राम भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद स्थित भूमि के वर्तमान खाता नम्बर 21/16 के खसरा नम्बर 2976/1 की भूमि के संदर्भ में वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार की जिसे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के द्वारा कोई चुनौति नहीं दी गई वर्तमान जमाबंदी के इंद्राज के अनुसार ही बंटवाड़ा का राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट 5 लगायत 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक को उक्त अपील बाबत सुना गया।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा वाद अवलोकन यह पाया कि विवादित आराजीयात ग्राम बिठूर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भवानीखेडा के खाता संख्या 47/42 किता 8 रकबा 2.41, 48/43 किता 3 रकबा 1.05 व ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 2976/1 रकबा 0.32 हैक्टर के खातेदार अपीलांट के पिता हैं। जोकि मुस्लिम जाति के हैं तथा वादी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 15.09.2021 के द्वारा उक्त राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी की आराजीयात बाबत बंटवारा करवाए जाने का विधिक अधिकार प्राप्त है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.9.2021 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जातना उचित समझते है कि वे पक्षकारान से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2022 को उपस्थित होने हेतु पावंद किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर